भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 5

उत्तर देने की तारीखः 03.02.2020

महिला शिक्षक

†**5. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः**
श्री श्रीनिवास दादासाहिब पाटीलः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में महिला शिक्षकों की अत्यधिक कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालय कच्चे भवनों में संचालित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में विद्यार्थी-महिला शिक्षक अनुपात का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार ने देश में वांछित अनुपात की तुलना में शिक्षक विद्यार्थी के वास्तविक अनुपात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड के अंतर्गत विद्यालयों की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए योग्य शिक्षकों, विशेष रूप से महिला शिक्षकों की भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ड.) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तों, तैनाती और स्कूलों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के क्षेत्राधिकार में है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) 2018-19 (अनंतिम) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या में से 40.56 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची इमारत के ब्लॉक के कुल स्कूलों की संख्या 24940 है।

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 अपनी अनुसूची में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों के लिए शिष्य-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) निर्धारित करता है जो क्रमश: 30:1 और 35:1 है। पूर्ववर्ती योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)-अब समग्र शिक्षा के तहत समेकित, के अनुसार माध्यमिक स्तर पर पीटीआर 30:1 होना चाहिए। यूडीआईएसई 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्कूलों के लिए पीटीआर 23:1 है, उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 25:1 और माध्यमिक स्तर के लिए 26:1 है। शिक्षकों की भर्ती निरंतर प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति की वजह से रिक्तियां बढ़ती रहती हैं और छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता होती रहती है। हालांकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकार से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और उसकी तर्कसंगत तैनाती के लिए अनुरोध करता रहता है, जिसके लिए मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवायज़री जारी करता रहता है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूलों के विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त शिक्षक-शिष्य अनुपात को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती हेतु राज्यों ओर केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है।

*****